महत्वपूर्ण

कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी,देहरादून, मयुरविहार।

email-deo.dehradun.dir @gmail.com ph.0135-2787028

सेवा में,

खण्ड शिक्षा अधिकारी,
डोईवाला/ रायपुर/ सहसपुर/ विकासनगर/ कालसी/ चकराता,
देहरादून।

पत्रांक/ विविध/ / तम्बाकू मुक्त /2019–20 दिनांक 7 अगस्त, 2019

विषयः– शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून के पत्रांक/ सी0एम0ओ0/ जि0त0नि0प्रको0दे0दून/ त0मु0वि0/2019/2549 दिनांक 03 अगस्त, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता तथा छात्र/छात्राओं को तम्बाकू/नशे की प्रवृति से बचाने के लिए विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त किया जाना तथा निम्नवत् कार्यवाही/गतिविधियाँ कराने हेतु अपेक्षा की गयी है :–

1. शैक्षणिक संस्थानों के 100गज के भीतर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पदों की बिक्री न हो इस हेतु प्रधानाचार्य/स्कूल प्रबन्धन द्वारा वैद्यानिक चेतावनी (कोटपा 2003 के नियमानुसार) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जायें।
2. प्रधानाचार्य/स्कूल प्रबन्धन द्वारा विद्यालय के आस–पास में स्थापित दुकान/जनरल स्टोर का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायें कि ऐसे स्थानों पर सिगरेट, तम्बाकू अन्य नशा युक्त पदार्थ न बेचा जाये यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उसकी सूचना शीघ्र ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को लिखित रूप में प्रेपित करें।
3. जिन शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान स्थापित है उसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पत्र या दूरभाष व whatsapp के माध्यम से तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ– श्रीमती रेखा उनियाल (9410540513), श्रीमती अर्चना उनियाल (8954265118) को दें। ताकि उक्त तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही कर सम्बन्धित विद्यालयों को कोटपा 2003 के मानकानुसार तम्बाकू मुक्त किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त शैक्षणिक संस्थानो को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

ACMO/NTCP.

(आशा रानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

पृ0सं0/ विविध/ 8165-76 / तम्बाकू मुक्त / 2019–20 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0/ प्रा0शि0) देहरादून को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त शैक्षणिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07/08/2019

(आशा रानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून